कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 352/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 07.09.2026

थाना–गम्भीरपुर, जनपद–आजमगढ़

गांजा तस्कर राजीव कुमार यादव पर आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई—उत्तर प्रदेश शासन ने 07.07.2026 को PIT-NDPS Act के तहत 01 वर्ष का निरोधादेश जारी किया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में गठित सलाहकार बोर्ड ने निरोध के पर्याप्त आधार पाए, जिसके बाद निरोधादेश की पुष्टि की गई।

604 किग्रा गांजा तस्करी से जुड़े अंतरराज्यीय तस्कर राजीव कुमार यादव की पूर्व में गिरफ्तारी—353.990 किग्रा गांजा बरामद कर तस्करी में प्रयुक्त ₹10.50 लाख कीमत के कंटेनर का विधिक जब्तीकरण किया गया।

नशे के कारोबार पर आजमगढ़ पुलिस का जीरो टॉलरेंस—सिर्फ तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं कार्रवाई, बल्कि उनके आर्थिक नेटवर्क पर भी प्रहार; मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध भी लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी।

पूर्व की घटना एवं पुलिस की कार्रवाई-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.03.2026 को एसटीएफ लखनऊ एवं थाना गम्भीरपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि छत्तीसगढ़ राज्य से भारी मात्रा में अवैध गांजा कंटेनर वाहन के माध्यम से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसटीएफ लखनऊ एवं थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा अमौड़ा टोल प्लाजा के समीप संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान वाहन संख्या UP-79 AT-9418 की तलाशी लेने पर उसमें विशेष रूप से निर्मित गुप्त कैविटी से 14 बोरियों में कुल 353.990 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 01 करोड़ 77 लाख रुपये थी। मौके से राजीव कुमार यादव उर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू पुत्र तिलक सिंह, निवासी ग्राम सुरायदा फूलपुर, थाना अजीतमल, जनपद औरैया को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 71/2026 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया तथा तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर वाहन को विधिक रूप से सीज कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

➡ विवेचना एवं उपलब्ध अभिलेखों से यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि आरोपी से जनपद आजमगढ़ में लगभग 354 किलोग्राम तथा जनपद जौनपुर में 250 किलोग्राम, कुल लगभग 604 किलोग्राम अवैध गांजा की तस्करी/बरामदगी से उसका संबंध पाया गया।

तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर का विधिक जब्तीकरण-

वित्तीय विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धनराशि का उपयोग कर उक्त कंटेनर वाहन क्रय किया गया था, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग ₹10.50 लाख था। थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा धारा 68F एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत उक्त वाहन को फ्रीज कर संपूर्ण प्रकरण Competent Authority & Administrator, SAFEM (FOP)A एवं NDPS Act, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों एवं वित्तीय जांच के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वाहन को Illegally Acquired Property के रूप में स्वीकार करते हुए फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि की गई।

इसके उपरांत दिनांक 22.06.2026 को लगभग ₹10.50 लाख मूल्य के तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर वाहन का विधिक जब्तीकरण किया गया। इस प्रकार आजमगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध केवल गिरफ्तारी एवं अभियोग पंजीकरण तक सीमित कार्रवाई न करते हुए मादक पदार्थ तस्करी में प्रयुक्त एवं अपराध से अर्जित संपत्ति पर भी प्रभावी विधिक कार्रवाई की गई।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 01 वर्ष का PIT-NDPS निरोधादेश-

आरोपी के आपराधिक इतिहास, मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय भूमिका, संगठित रूप से अवैध मादक पदार्थों के परिवहन एवं वितरण में संलिप्तता तथा रिहाई के पश्चात पुनः इसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई।

उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-5 द्वारा दिनांक 07.07.2026 को PIT-NDPS Act, 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत आरोपी राजीव कुमार यादव उर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू के विरुद्ध 01 वर्ष का निरोधादेश जारी किया गया। शासन द्वारा जारी उक्त निरोधादेश के अनुपालन में दिनांक 08.07.2026 को जिला कारागार, आजमगढ़ में निरुद्ध आरोपी को निरोधादेश की विधिवत तामील कराई गई।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा विधिक परीक्षण-

PIT-NDPS Act के अंतर्गत निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पारित निरोधादेश से संबंधित संपूर्ण अभिलेख एवं आरोपी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में गठित उत्तर प्रदेश सलाहकार बोर्ड (निरोध) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों, उपलब्ध साक्ष्यों, आरोपी के आपराधिक इतिहास, मादक पदार्थों की तस्करी में उसकी भूमिका तथा निरोधात्मक कार्रवाई के आधारों का विधिक परीक्षण किया गया। विधिक परीक्षण एवं सुनवाई के उपरांत मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा आरोपी राजीव कुमार यादव उर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू के निरोध के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान पाए गए। आरोपी के विरुद्ध दिनांक 08.07.2026 को जारी 01 वर्ष के PIT-NDPS निरोधादेश की पुष्टि की गई।

➡ इस प्रकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 07.07.2026 को आरोपी के विरुद्ध 01 वर्ष का PIT-NDPS निरोधादेश जारी किया गया, दिनांक 08.07.2026 को जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध आरोपी को उक्त आदेश की विधिवत तामील कराई गई तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा निरोधादेश की पुष्टि की गई।

PIT-NDPS के तहत निरोधात्मक कार्रवाई के प्रमुख आधार-

1. संगठित मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्तता आरोपी द्वारा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मादक पदार्थों के परिवहन एवं तस्करी में सक्रिय भूमिका निभाना प्रकाश में आया।
2. भारी मात्रा में गांजा तस्करी आरोपी से संबंधित प्रकरणों में जनपद आजमगढ़ एवं जौनपुर में कुल लगभग 604 किलोग्राम अवैध गांजा की तस्करी/बरामदगी से उसका संबंध पाया गया।
3. गंभीर आपराधिक इतिहास आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एवं अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं।
4. पुनः अपराध में संलिप्त होने की संभावना आरोपी की पूर्व आपराधिक गतिविधियों एवं वर्तमान प्रकरण को देखते हुए रिहाई के पश्चात पुनः मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त होने की संभावना पाई गई।
5. तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर- मादक पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष रूप से तैयार गुप्त कैविटी वाले कंटेनर का प्रयोग किया गया।
6. अपराध से अर्जित धन का उपयोग-वित्तीय जांच में तस्करी से अर्जित अवैध धनराशि से कंटेनर वाहन खरीदे जाने का तथ्य प्रकाश में आया।
7. आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई- तस्करी में प्रयुक्त लगभग ₹10.50 लाख मूल्य के कंटेनर वाहन का विधिक जब्तीकरण किया गया।
8. समाज एवं युवा वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव- मादक पदार्थों की तस्करी से समाज एवं विशेषकर युवा वर्ग के भविष्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को दृष्टिगत रखा गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 124/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना अजीतमल, जनपद औरैया।
2. मु0अ0सं0 97/2022 धारा 147/323/427/504/506 IPC, थाना अजीतमल, जनपद औरैया।
3. मु0अ0स0 69/2023 धारा 8/20/60 NDPS Act, थाना मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर।
4. मु0अ0स0 124/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर।
5. मु0अ0सं0 71/2026 धारा 8/20/29/60 NDPS Act, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

नशे के कारोबार के विरुद्ध आजमगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई-

आजमगढ़ पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रभावी एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई का उद्देश्य केवल मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि उनके संगठित नेटवर्क, आर्थिक स्रोत एवं अपराध से अर्जित संपत्तियों पर भी प्रभावी प्रहार करना है।

➡☐ वर्तमान प्रकरण में आरोपी राजीव कुमार यादव उर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू के विरुद्ध की गई कार्रवाई इसका उदाहरण है, जिसमें—

☐ लगभग 604 किलोग्राम गांजा तस्करी से संबंध।
☐ 353.990 किलोग्राम गांजा की बरामदगी।
☐ आरोपी की गिरफ्तारी एवं अभियोग पंजीकरण।
☐ लगभग ₹10.50 लाख मूल्य के तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर का विधिक जब्तीकरण।
☐ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 07.07.2026 को 01 वर्ष का PIT-NDPS निरोधादेश जारी किया जाना।
☐ 08.07.2026 को जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध आरोपी को निरोधादेश की तामील कराया जाना।
☐ मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा निरोध के पर्याप्त आधार पाए जाने पर निरोधादेश की पुष्टि किया जाना।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ का संदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार ने कहा कि जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध एवं अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर एवं विधिसम्मत कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रहकर उनके आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने, तस्करी में प्रयुक्त एवं अपराध से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज/जब्त करने तथा आवश्यकतानुसार PIT-NDPS Act के तहत निरोधात्मक कार्रवाई तक जारी रहेगी।

आजमगढ़ पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि जनपद में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार एवं संगठित तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के दायरे में हर स्तर पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

प्रेस नोट, दिनांक–07.09.2026
थाना–बरदह, जनपद–आजमगढ़

पशुओं को छोड़ने के विवाद में लाठी-डण्डे से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद

पूर्व की घटना–

दिनांक 06.09.2026 को थाना बरदह क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घाटमपुर में आवारा पशुओं को गांव के बाहर छोड़ने को लेकर हुए विवाद में इन्दल सरोज पुत्र रामवृक्ष सरोज निवासी ग्राम गिड़उर, थाना बरदह द्वारा वादी अजय सरोज पुत्र स्वामीनाथ सरोज निवासी ग्राम घाटमपुर, थाना बरदह के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डण्डे से हमला कर दिया गया। हमले में वादी के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गया। उपचार के उपरान्त वादी द्वारा थाना बरदह पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 298/2026 धारा 109(1)/352 बीएनएस बनाम आरोपीगण पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 07.09.2026 को उ0नि0 रितेश खरवार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त** इन्दल सरोज पुत्र रामवृक्ष सरोज, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम गिड़उर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को त्रिवेणी मोड़ से समय करीब 05:30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 298/2026 धारा 109(1)/352 बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

आरोपी की निशानदेही/कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बाँस का डण्डा बरामद किया गया।

आपराधिक इतिहास– मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 रितेश खरवार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. रि0आ0 अजय चौधरी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
3. रि0आ0 शुभम कुमार दुबे, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
4. रि0आ0 आशुतोष पाण्डेय, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक- 07.09.2026
थाना–देवगांव, जनपद–आजमगढ़

साइबर फ्रॉड में ठगी गई ₹88,998/- की पूरी धनराशि आजमगढ़ पुलिस ने करायी वापस

UPI के माध्यम से हुई साइबर ठगी की शिकायत पर तत्काल NCRP पोर्टल पर कार्रवाई कर धनराशि होल्ड करायी गयी, कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी रकम

घटना का विवरण–

आवेदक इनामुल हसन पुत्र गनीम जफर निवासी टिकरगाढ़, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 26.11.2025 को UPI के माध्यम से ₹88,998/- का साइबर फ्रॉड हुआ था। साइबर फ्रॉड की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा तत्काल NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी गयी।

शिकायत के आधार पर थाना देवगांव की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल के माध्यम से साइबर फ्रॉड की धनराशि ₹88,998/- को Payments Bank के खाता में होल्ड कराया गया। तत्पश्चात न्यायालय के आदेश के क्रम में थाना देवगांव की साइबर टीम द्वारा ₹88,998/- की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में वापस करा दी गयी।

धनराशि वापस प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा आजमगढ़ पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी साइबर कार्रवाई के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर टीम थाना देवगांव– थानाध्यक्ष देवगांव सुनील कुमार सिंह, उ0नि0 पंकज कुमार सिंह,का0 विपिन यादव, रि0का0 प्रवीण कुशवाहा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक–07.09.2026
थाना–तरवां, जनपद–आजमगढ़

नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी कर फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले आरोपी को थाना तरवां पुलिस ने किया गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

वादी मुकदमा संदीप जायसवाल पुत्र गिरिजाशंकर जायसवाल निवासी ग्राम व पोस्ट रासेपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र के आधार पर मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक 01.07.2026 को थाना तरवां पर अभियोग पंजीकृत किया गया कि नागेन्द्र यादव, डब्लू यादव निवासी कस्बा पहलवानपुर, थाना तरवां तथा दीपक गौड़ निवासी ग्राम भड़सर, थाना बिरनो, जनपद गाजीपुर द्वारा वन विभाग में कार्यरत होने तथा असम राइफल्स में नौकरी लगवाने का झांसा देकर वादी मुकदमा से कुल 11 लाख रुपये ले लिये तथा वादी के नाम से कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार कर वादी को भेजा गया तथा उसकी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी अपने पास रख लिये गये। नौकरी लगने का झांसा देकर वादी को गुवाहाटी भी भेजा गया, लेकिन बाद में नौकरी नहीं लगवाई गयी। रुपये वापस मांगने पर आरोपियों द्वारा जान से मारने तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गयी। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 रुपेश कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी की कार्यवाही-

आज दिनांक 07.09.2026 को उ0नि0 रुपेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा आरोपी नागेन्द्र यादव पुत्र राजनाथ यादव, निवासी कस्बा पहलवानपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष को रासेपुर बाजार से समय करीब 09:45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0– 137/2026, धारा 420/467/468/471/506 भादवि, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- नागेन्द्र यादव पुत्र राजनाथ यादव, निवासी कस्बा पहलवानपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र–करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रुपेश कुमार सिंह, का0 अरविन्द कुमार, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक– 07.09.2026
थाना–रौनापार, जनपद–आजमगढ़।

फर्जी मदरसा संचालन कर सरकारी अनुदान की धनराशि के गबन के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

राज्य विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (EOW), मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के निरीक्षक/जांच अधिकारी कुँवर ब्रह्म प्रकाश सिंह द्वारा मदरसा *दर्सगाह अरबियां निस्वां, चाँदपट्टी, आजमगढ़* (मदरसा आईडी–191100686) के प्रबन्धक अंसार अहमद द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उन्हें असली के रूप में प्रयोग करते हुए फर्जी तरीके से शासकीय धनराशि/अनुदान का गबन किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रौनापार पर दिनांक 07.02.2025 को मु0अ0सं0- 34/2025 धारा 409, 420, 467, 468, 471 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 मानचन्द्र यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.09.2026 को उ0नि0 मानचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अंसार अहमद पुत्र अली औसत, निवासी ग्राम चाँदपट्टी, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब

55 वर्ष, (प्रबन्धक मदरसा दर्सगाह अरबियां निस्वां, चाँदपट्टी, आजमगढ़) को उसके घर ग्राम चांदपट्टी से समय करीब 11:50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायलय किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 34/2025, धारा 420/467/468/471 भादवि, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
2.

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 34/2025, धारा 420/467/468/471 भादवि, थाना रौनापार, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 14/2019, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना रौनापार, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- अंसार अहमद पुत्र अली औसत, निवासी ग्राम चाँदपट्टी, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष, प्रबन्धक मदरसा दर्सगाह अरबियां निस्वां, चाँदपट्टी, आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 मानचन्द्र यादव, हे0का0 संतोष मिश्रा, का0 मो0 जावेद, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक–07.09.2026
थाना–अतरौलिया, जनपद–आजमगढ़

पुरानी रंजिश में महिला व उसकी बेटियों के साथ मारपीट व अभद्रता करने के मामले में वांछित 01 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 21.08.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा उनकी पुत्री के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की गई। बीच-बचाव करने पर वादिनी एवं उनकी दूसरी पुत्री के साथ भी गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों एवं लाठी-डंडे से मारपीट की गई तथा वादिनी की अंगुली में दांत से काटने एवं फरसे से मारने तथा जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0-331/2026 धारा 76, 115(2), 352, 351(3), 118(1) बीएनएस बनाम अनिल निषाद, पल्लू निषाद एवं बहोर निषाद पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 07.09.2026 को उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अनिल निषाद पुत्र निहोर उर्फ राम निहोर निषाद, निवासी पकड़ियापुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष को अतरैठ बाजार से समय 09:20 बजे नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त– अनिल निषाद पुत्र निहोर उर्फ राम निहोर निषाद, निवासी पकड़ियापुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 331/2026 धारा 76, 115(2), 352, 351(3), 118(2) बीएनएस, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा, का0 राजकरन सोनकर, का0 हरेन्द्र, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक– 07.09.2026

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

फर्जी क्लिनिक संचालित कर मरीज को झांसे में लेकर गलत तरीके से इलाज करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 18.10.2025 को वादी मुकदमा सुनील यादव पुत्र वंशराज यादव निवासी ग्राम मईखरगपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ के भाई अजीत यादव शौचालय में गिरने से पैर में गंभीर रूप से चोटिल हो गये थे। इलाज के लिए उन्हें प्रकाश हेल्थ केयर सेन्टर, गोसाई की बाजार में सत्यप्रकाश के पास ले जाया गया। सत्यप्रकाश द्वारा स्वयं को चिकित्सक बताकर वादी के भाई को झांसे में लिया गया तथा गलत तरीके से इलाज किया गया, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो गयी तथा वह चलने-फिरने में असमर्थ हो गये। बाद में जानकारी करने पर उक्त हेल्थ केयर सेन्टर एवं चिकित्सक का पंजीकरण न होने की बात सामने आयी। उपचार में लापरवाही के कारण पैर काटने की स्थिति उत्पन्न होने के संबंध में वादी द्वारा थाना गम्भीरपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 221/2026, धारा 109(1)/318(4) बीएनएस व 34(2) NMC Act बनाम सत्यप्रकाश पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 07.09.2026 को उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सत्यप्रकाश पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्राम पन्दहा, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ को गोसाई की बाजार से समय करीब 13:15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- सत्यप्रकाश पुत्र लालता प्रसाद, निवासी ग्राम पन्दहा, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 221/2026, धारा 109(1)/318(4) बीएनएस व 34(2) NMC Act, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा, का0 अलेक्षेन्द्र प्रताप सिंह, का0 पवन कुमार, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक–07.09.2026
थाना–जीयनपुर, जनपद–आजमगढ़ ।

ज्वेलर्स की दुकान से आभूषण बदलकर चोरी करने वाले एक आरोपी व एक आरोपी महिला गिरफ्तार, 03 नाक की कील बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 07.09.2026 को वादी मुकदमा विनोद वर्मा पुत्र स्व0 महेन्दर वर्मा निवासी गुरू गोविन्द नगर वार्ड नं0 06, अजमतगढ़, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना जीयनपुर पर तहरीर दी गयी कि कस्बा अजमतगढ़ स्थित उनकी श्रेया ज्वेलर्स की दुकान पर एक पुरुष व दो महिलाएं आभूषण देखने के बहाने 05 पीस नाक की कील बदलकर चोरी कर ले गये। तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 374/2026 धारा 305(A), 318(4) बीएनएस बनाम एक पुरुष व दो महिला अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 07.09.2026 को उ0नि0 विनय कुमार यादव, चौकी प्रभारी अजमतगढ़ मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त 1- अमन कुमार उर्फ रामबहादुर पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 38 वर्ष एवं 2- सरिता पत्नी सुनील निवासी ग्राम पुरुषोत्तमपुर उर्फ कैथोली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष को रजादेपुर-अजमतगढ़ मार्ग पर देशी शराब के ठेके के पास से समय करीब 14:50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से **03 पीली धातु की नाक की कील** बरामद की गयी तथा घटना में प्रयुक्त **01 मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज** किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अमन कुमार उर्फ रामबहादुर पुत्र मुन्नीलाल, निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 38 वर्ष।
2. सरिता पत्नी सुनील, निवासी ग्राम पुरुषोत्तमपुर उर्फ कैथोली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी-

- 03 अदद पीली धातु की नाक की कील।
- 01 अदद मोटरसाइकिल, धारा 207 एमवी एक्ट में सीज।
-

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 374/2026 धारा 305(A)/318(4) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2)/317(4) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 विनय कुमार यादव, चौकी प्रभारी अजमतगढ़, हे0का0 केश्वेन्द्र प्रताप सिंह, का0 मो0 शाहिद, म0का0 अंजली यादव, म0का0 नेहा मिश्रा, थाना जीयनपुर।

प्रेस विज्ञप्ति, थाना मेहनाजपुर
दिनांक: 07.09.2026, जनपद आजमगढ़

☐ ऑपरेशन वज्रपात: सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति के विरुद्ध पुलिस का प्रहार।
☐ गोपालपुर में 03 युवक गिरफ्तार, न्यायालय भेजे गए।
☐ 08 युवकों को झुंड बनाकर वीडियो बनाने पर थाने लाकर समझाइश की कार्रवाई।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री भूपेश पाण्डेय के पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष मेहनाजपुर श्री अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर बढ़ रही गैंग संस्कृति एवं भ्रामक/आक्रामक पोस्ट के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

☐ अभियान के दौरान थाना मेहनाजपुर क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में सोशल मीडिया पर आक्रामक एवं भ्रामक पोस्ट प्रसारित करने के मामले में **1. सचिन चौहान पुत्र रामनवल चौहान (22 वर्ष), 2. अनुज चौहान पुत्र चन्द्रबली चौहान (21 वर्ष) एवं 3. आनन्द चौहान पुत्र रामचरन चौहान (20 वर्ष)** को गिरफ्तार कर धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत न्यायालय भेजा गया।

☐ इसी क्रम में ग्राम बहलोलपुर में सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं आक्रामक पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें समझाया-बुझाया गया तथा माफीनामा कराया गया।

☐ थाना क्षेत्र में 08 युवकों द्वारा झुंड बनाकर वीडियो बनाए जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा सभी को थाने पर लाकर समझाइश की कार्रवाई की गई तथा भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी गई।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, भ्रामक एवं आक्रामक पोस्ट तथा युवाओं द्वारा समूह बनाकर की जाने वाली आपत्तिजनक गतिविधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है।